समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–86 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री भगवती प्रसाद जुयाल, स्वर्गीय जयराम जुयाल, ग्राम व पोस्ट–हिटाणू (डुंडा), उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– 21 / 08 / 2024
निर्णय का दिनांक– 09 / 09 / 2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री भगवती प्रसाद जुयाल, स्वर्गीय जयराम जुयाल, ग्राम व पोस्ट–हिटाणू (डुंडा), उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–21 / 08 / 2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–यूके24106414186, भार–01 किलोवाट, श्रेणी–एसटीएन–11 / बीपीएल से संबंधित है। प्रार्थना पत्र में परिवादी ने कहा है कि उसकी बिजली की खपत बहुत कम है। इसके बावजूद उसे अत्याधिक धनराशि का बिल निर्गत किया जा रहा है। मंच से बिल संशोधन का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज किया गया। पत्रांक संख्या–68 / 2024 वि0उ0शि0नि0मं0 उका फोरम / दिनांक–21 / 08 / 2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस दिया गया और दिनांक–29 / 08 / 2024 को मंच के सम्मुख आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक–29 / 08 / 2024 की सुनवाई में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक संख्या–302 / वि0वि0उ0ख0चि0 / दिनांक–28 / 08 / 2024 के मार्फत आख्या प्रस्तुत की गई। आख्या में कहा गया है कि परिवादी के संयोजन पर मीटर्ड यूनिट आधारित बिल निर्गत किए गए हैं, जो कि पूरी तरह से सही हैं और इनमें संशोधन की गुंजाइश नहीं है। दिनांक–09 / 09 / 2024 को भी परिवाद की सुनवाई की गई।

उपभोक्ता सदस्य 09/09/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

न्यायिक सदस्य 09/09/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि माह 06/2024 एवं 08/2024 के मध्य परिवादी का विद्युत उपभोग 402 यूनिट दर्शाया गया है, जो कि परिवादी के पूर्व की खपत के पैटर्न से मेल नहीं खाता है और लगभग चार गुना ज्यादा है। विपक्षी विभाग का भले ही यह कहना हो कि सभी बिल एमयू के हैं, लेकिन मंच का मानना है कि एक बार फिर से रीडिंग की जांच कर ली जानी उचित होगी। जांच में यदि कोई त्रुटि निकलती है, तो उसमें सुधार कर संशोधित बिल परिवादी को दिया जाना न्यायोचित होगा। इन स्थितियों के बीच, परिवादी के पास एक विकल्प चैक मीटर लगाने का भी है। विपक्षी विभाग के पास चैक मीटर शुल्क जमा कर परिवादी अपने संयोजन पर इसे स्थापित करा सकता है। यदि मेन व चैक मीटर में अंतर पाया जाता है, तो फिर उसी हिसाब से बिल संशोधन कर दिया जाएगा।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

09/09/24	9/9/24	09/09/24
(विपिन बनियाल)	(एन0के0 जोशी)	(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–77 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री प्रदीप भट्ट, पुत्र श्री एलपी भट्ट, ग्राम कन्सेण, जोशियाड़ा, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– 30 / 07 / 2024
निर्णय का दिनांक– 09 / 09 / 2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री प्रदीप भट्ट, पुत्र श्री एलपी भट्ट, ग्राम कन्सेण, जोशियाड़ा, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–30 / 07 / 2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–यूके11307008263, भार–01 किलोवाट, श्रेणी–एसटीएन–10 / अदर डोमेस्टिक से संबंधित है और श्री लीला प्रसाद के नाम से संचालित है। परिवादी ने खपत के मुकाबले अत्याधिक धनराशि का बिल निर्गत किए जाने की शिकायत की है और बिल संशोधन का अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज किया गया। पत्रांक संख्या–56 / 2024 वि0उ0शि0नि0मं0 उका फोरम / दिनांक–30 / 07 / 2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस दिया गया और दिनांक–12 / 08 / 2024 को मंच के सम्मुख आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक–12 / 08 / 2024 की सुनवाई में विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक संख्या–757 / वि0वि0उ0ख0उ / दिनांक–12 / 08 / 2024 के मार्फत आख्या प्रस्तुत की गई। आख्या में कहा गया है कि उपभोक्ता के माह 07 / 2023 से 05 / 2024 तक संपूर्ण बिल एनआर पर निर्गत किए गए थे, जिसमें कि दिनांक–27 / 05 / 2024 को विभाग द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर नया मीटर स्थापित कर दिया गया था, जबकि दिनांक–13 / 07 / 2024 को मीटर रीडिंग 255 यूनिट पर विद्युत बिल निर्गत किए गए हैं। उपभोक्ता के विद्युत बीजक की धनराशि रूपये 9660.00 (नौ हजार छः सौ साठ) है, जो कि जमा की जानी है। मंच द्वारा आख्या पर असहमति प्रकट की गई। मंच ने कहा कि मीटर चेंज होने के बाद अचानक से 1967 यूनिट उपभोग कन्ज्यूमर हिस्ट्री में दर्शित हो रहा है, जो कि असाधारण है, जबकि उपभोग का पैटर्न काफी अलग रहा है। औसतन 200 से 300 यूनिट की ही उपभोक्ता की खपत पूर्व में रही है। विपक्षी विभाग को इसकी जांच कर अगली सुनवाई में संशोधित बिल पेश करने के लिए आदेशित किया गया।

उपभोक्ता सदस्य 09/09/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarkashi
तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 09/09/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

दिनांक–29/08/2024 की सुनवाई में संशोधित बिल/आख्या मंच के सम्मुख पेश नहीं की गई। मंच द्वारा गुण–दोष के आधार पर परिवाद में निर्णय करना तय किया गया। तथ्यों के अवलोकन से मंच ने पाया कि दिनांक–16/07/2023 के उपरांत परिवादी के बिल एनआर के निर्गत किए गए हैं। दिनांक–16/05/2024 को परिवादी के मीटर को आईडीएफ दर्शाया गया। विभाग द्वारा दिनांक–27/05/2024 को परिवादी का मीटर बदल दिया गया। इस प्रकार लगभग एक वर्ष तक परिवादी को आईडीएफ/एनआर के बिल निर्गत किए गए। मंच का मत है कि दिनांक–16/07/2023 से मीटर बदलने की तिथि 17/05/2024 तक के निर्गत बिल निरस्त करने योग्य हैं। माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी सामान्य आपूर्ति शर्तो के बिंदु संख्या–04 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सिर्फ दो बिलिंग चक्रो को छोड़कर उपभोक्ता को आईडीएफ/एनआर बिल निर्गत नहीं किए जा सकते। अतः यह न्याय हित में होगा कि विपक्षी विभाग उक्त अवधि के दौरान के परिवादी के प्रथम दो बिल, जो कि दिनांक–16/07/2023 से 16/09/2023 और दिनांक–16/09/2023 से 20/11/2023 तक के ही परिवादी से ले। इन बिलों का आधार माह 07/2023 से पूर्व के तीन बिलिंग चक्रों का औसत माना जाना उचित रहेगा। इसके अलावा, इस अवधि का परिवादी से विलंब अधिभार शुल्क (एलपीएस) न लेना भी न्यायसंगत होगा।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार बिल संशोधित कर परिवादी को उपलब्ध कराए। अनुपालन आख्या 30 दिन में मंच के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

09/09/24	9/9/24	09/09/24
(विपिन बनियाल)	(एन0के0 जोशी)	(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य
उपभोक्ता सदस्य विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	तकनीकी सदस्य विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी	न्यायिक सदस्य विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–79 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री राजेंद्र प्रसाद, ग्राम / पोस्ट–सिरी (धौन्तरी), डुंडा, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– 07 / 08 / 2024
निर्णय का दिनांक– 23 / 09 / 2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री राजेंद्र प्रसाद, ग्राम / पोस्ट–सिरी (धौन्तरी), डुंडा, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–07 / 08 / 2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–यूके113160165010 से संबंधित है। परिवादी ने गलत बिलिंग की शिकायत करते हुए इसमें संशोधन का अनुरोध मंच से किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज किया गया। पत्रांक संख्या–61 / 2024 वि0उ0शि0नि0मं0 उका फोरम / दिनांक–07 / 08 / 2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस दिया गया और दिनांक–12 / 08 / 2024 को मंच के सम्मुख आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक–12 / 08 / 2024 और दिनांक–29 / 08 / 2024 की सुनवाई में विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। विपक्षी के मौखिक अनुरोध पर दोनों ही मर्तबा समय प्रदान किया गया। विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी को निर्गत आईडीएफ / एनआर बिलों में नियमानुसार संशोधन किया जाए। कहा गया कि नियमानुसार, दो आईडीएफ बिलिंग को छोड़कर बाकी इस तरह की बिलिंग नहीं की जा सकती। ना ही, इस अवधि का सरचार्ज वसूला जा सकता। बिल संशोधित कर आख्या अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने के लिए विपक्षी को आदेशित किया गया।

दिनांक–09 / 09 / 2024 की सुनवाई में विपक्षी द्वारा पत्रांक संख्या–774 / वि0वि0उ0ख0उ / दिनांक–05 / 09 / 2024 के मार्फत आख्या प्रस्तुत की गई।

विपिन बनियाल 23/09/24
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 23/09/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

आख्या में जानकारी दी गई कि उपभोक्ता का बिल संशोधित कर दिया गया है। बताया गया कि उपभोक्ता के संशोधित बिल की धनराशि रूपये 2,510.00 (दो हजार पांच सौ दस) है।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा उपभोक्ता का बिल संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल रूपये 2,510.00 (दो हजार पांच सौ दस) का है, जिसकी देयता उपभोक्ता पर बनती है। संशोधित बिल अविलंब उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाना न्याय हित में होगा।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

23/09/24
(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 23/09/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–84 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री धर्मेंद्र कुमार पुत्र श्री आशीष कुमार, ग्राम–चिणाखोली, पोस्ट–बौन, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– 12 / 08 / 2024
निर्णय का दिनांक– 23 / 09 / 2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री धर्मेंद्र कुमार पुत्र श्री आशीष कुमार, ग्राम–चिणाखोली, पोस्ट–बौन, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–12 / 08 / 2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–यूके14118417594, भार–01 किलोवाट, श्रेणी–एसटीएन–11 / बीपीएल से संबंधित है। परिवादी ने प्रार्थनापत्र में बिल संशोधन का अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज किया गया। पत्रांक संख्या–66 / 2024 वि0उ0शि0नि0मं0 उका फोरम / दिनांक–14 / 08 / 2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस दिया गया और दिनांक–29 / 08 / 2024 को मंच के सम्मुख आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक–29 / 08 / 2024 की सुनवाई में विपक्षी द्वारा पत्रांक संख्या–301 / वि0वि0उख0चि0 / दिनांक–28 / 08 / 2024 के मार्फत आख्या प्रस्तुत की गई। आख्या में कहा गया है कि उपभोक्ता के दिनांक–19 / 04 / 2008 से लेकर दिनांक–20 / 07 / 2015 तक के बिल आईडीएफ पर हैं और दिनांक–24 / 09 / 2015 से लेकर दिनांक–22 / 07 / 2019 तक के बिल एमयू पर आधारित है। दिनांक–11 / 09 / 2019 से 18 / 07 / 2024 तक के बिल आरडीएफ / आईडीएफ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। उपभोक्ता का वर्तमान बिल रूपये 80,054.00 (अस्सी हजार चौवन) का बकाया है। शिकायतकर्ता द्वारा संयोजन निर्गत होने के बाद से आज दिनांक तक मात्र 5,000.00 (पांच हजार) रूपये ही जमा कराए गए हैं। मंच द्वारा विभागीय आख्या पर असहमति प्रकट की गई और कहा गया कि माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी सामान्य आपूर्ति शर्तों के बिंदु संख्या–04 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि उपभोक्ता को दो बिलिंग चक्रों को छोड़कर आईडीएफ / आरडीएफ के बिल निर्गत नहीं किए जा सकते, जबकि इस प्रकरण में

विपिन बनियाल 23/09/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 23/09/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

लगभग बारह वर्षों तक आईडीएफ/आरडीएफ के बिल उपभोक्ता को निर्गत किए गए हैं। आदेशित किया गया कि उपभोक्ता को निर्गत आरडीएफ/आईडीएफ बिलों को नियमानुसार निरस्त किया जाए और अगली सुनवाई में संशोधित बिल मंच के सम्मुख पेश किया जाए।

दिनांक–09/09/2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग द्वारा पत्रांक संख्या–307/वि0वि0उ0ख0चि0/दिनांक–09/09/2024 के माध्यम से आख्या प्रस्तुत की गई और अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का बिल संशोधित कर दिया गया है। जानकारी दी गई कि उपभोक्ता का बिल रूपये 80,054.00 (अस्सी हजार चौवन) से संशोधित कर रूपये 16,777.00 (सोलह हजार सात सौ सतहत्तर) का कर दिया गया है।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी विभाग द्वारा उपभोक्ता का बिल संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल रूपये 16,777.00 (सोलह हजार सात सौ सतहत्तर) का है, जिसकी देयता उपभोक्ता पर बनती है। संशोधित बिल अविलंब उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाना न्याय हित में होगा।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

23/09/24
(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

23/09/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–54 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट — **(न्यायिक सदस्य)**
श्री एन0 के0 जोशी — **(तकनीकी सदस्य)**
श्री विपिन बनियाल — **(उपभोक्ता सदस्य)**

परिवादी– श्री सूर्यपाल सिंह रावत, वार्ड नंबर–01, नगर पंचायत पुरोला, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– **02 / 07 / 2024**
निर्णय का दिनांक– **23 / 09 / 2024**

:: निर्णय ::

परिवादी श्री सूर्यपाल सिंह रावत, वार्ड नंबर–01, नगर पंचायत पुरोला, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–02 / 07 / 2024 को पुरोला में आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–बीडी23206305173, भार–01, श्रेणी–एसटीएन–10 / अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। परिवादी ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि उसका खबली सेरा पुरोला में अपने भवन पर विद्युत कनेक्शन लगाया हुआ था, जिसे मार्च 2005 में बंद करवा दिया गया था। मगर इसके बावजूद अभी तक उन पर बकाया धनराशि बताई जा रही है। मंच से उचित कार्रवाई का परिवादी ने अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज किया गया और शिविर में उपस्थित विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को नोटिस देकर आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक–15 / 07 / 2024 की सुनवाई के दौरान आख्या अप्राप्त रही। विपक्षी के अनुरोध पर समय प्रदान किया गया। दिनांक–29 / 07 / 24 को सुनवाई के दौरान विपक्षी को आदेशित किया गया कि उपरोक्त संयोजन की पीडी फाइनल कर रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाए। दिनांक–12 / 08 / 2024 की सुनवाई में विपक्षी द्वारा पत्रांक संख्या–250 / वि0वि0उ0ख0 पुरोला / दिनांक–27 / 07 / 2024 के माध्यम से आख्या प्रस्तुत की गई। आख्या में उपखंड अधिकारी ने जानकारी दी कि अवर अभियंता द्वारा उक्त संयोजन का स्थायी विद्युत विच्छेदन प्रपत्र भरकर अग्रिम कार्यवाही के लिए खंड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। विपक्षी को आदेशित किया गया कि वह परिवादी के अंतिम बिल की जानकारी मंच को अगली सुनवाई में उपलब्ध कराए।

दिनांक–29 / 08 / 2024 की सुनवाई के दौरान परिवादी के अंतिम बिल की जानकारी मंच के सम्मुख प्रस्तुत नहीं की गई। दिनांक–09 / 09 / 2024 की सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी पुरोला मीनाक्षी चौहान द्वारा मंच को जानकारी दी गई कि परिवादी के विरूद्ध की गई सेक्शन–3 की

विपिन बनियाल 23/09/24

Kirti Prasad 23/09/24

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

कार्यवाही में अंतिम बिल की धनराशि रूपये 62,033.00 (बासठ हजार तैंतीस) थी, जिसे ओएम संख्या–404 / दिनांक–06 / 07 / 2022 के मार्फत पूर्व में संशोधित करते हुए संयोजन की पीडी कर दी गई। संशोधित धनराशि रूपये 34,195.00 (चौंतीस हजार एक सौ पिचानवे) है, जिसकी देयता परिवादी पर बनती है।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि परिवादी ने अपने शिकायती पत्र में वर्ष 2005 में संयोजन विच्छेदित होने की जो बात कही है, उसके पक्ष में वह कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया है कि वर्ष 2005 में उपरोक्त संयोजन को स्थायी रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। अतः विपक्षी की ओर से परिवादी के अंतिम बिल की जो धनराशि रूपये 34,195.00 (चौंतीस हजार एक सौ पिचानवे) की जो जानकारी दी गई है, उसे मंच सही मानता है और इसी धनराशि की देयता परिवादी पर बनती है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

23/09/23

(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

23/09/24

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–88 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– स्वामी श्री दयाराम दास त्यागी, श्रीरामजानकी आश्रम ग्राम नैताला भटवाडी उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– 28 / 08 / 2024
निर्णय का दिनांक– 23 / 09 / 2024

:: निर्णय ::

परिवादी स्वामी श्री दयाराम दास त्यागी, श्रीरामजानकी आश्रम ग्राम नैताला भटवाडी उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–28 / 08 / 2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–यूके21118019546, भार–02, श्रेणी–एसटीएन–10 / अदर डोमेस्टिक और राघवानन्द के नाम से संचालित है। परिवादी ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि उन्हें खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के बिल निर्गत किए जाते हैं। मंच से परिवादी ने अनुरोध किया है कि उक्त संयोजन पर निर्गत विद्युत बिलों को संशोधित कर सही करने की कृपा करें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा पत्रांक 70 / वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 28.08.2024 के मार्फत नोटिस दिया गया और दिनांक 29.08.2024 को आख्या पेश करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 29.08.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त संयोजन पर सभी विद्युत बिल एम0यू0 (मीटर यूनिट) के आधार पर हैं। सुनवाई के दौरान उपस्थित परिवादी ने मंच से अनुरोध किया कि उनके संयोजन पर चैक मीटर स्थापित किया जाए और बिल संशोधित किया जाए। मंच द्वारा विपक्षी / विभाग को आदेशित किया गया कि परिवादी द्वारा शुल्क जमा कर दिए जाने के बाद उनके संयोजन पर चैक मीटर स्थापित कर दिया जाए और अगली सुनवाई में चैक मीटर रिपोर्ट पेश की जाए। दिनांक 09.09.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा चैक मीटर रिपोर्ट (आख्या) अप्राप्त रही। विपक्षी / विभाग को मंच द्वारा समय प्रदान किया गया।

दिनांक 23.09.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा पत्रांक 783 / वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 20.09.2024 के मार्फत आख्या पेश की गई और अवगत कराया गया

23/09/24

23/09/24

कि उपभोक्ता के उपरोक्त संयोजन पर दिनांक 30.08.2024 को चैक मीटर स्थापित किया गया और दिनांक 19.09.2024 को उतारा गया। चैक मीटर और मेन मीटर में खपत का कोई अन्तर नहीं पाया गया है। अतः विद्युत बिल खपत की सापेक्ष सही प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी के संयोजन पर स्थापित मीटर सही है और निर्गत किए गए बिल सही हैं। अतः शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–94/2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री चंद्रशेखर पुत्र स्वर्गीय श्री गोविंद राम, ग्राम गुन्दियाट गांव, पुरोला।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– 09/09/2024
निर्णय का दिनांक– 28/09/2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री चंद्रशेखर पुत्र स्वर्गीय श्री गोविंद राम, ग्राम गुन्दियाट गांव, पुरोला का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–09/09/2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–बीडी13211306548, भार–01, श्रेणी–बीपीएल से संबंधित है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि उपरोक्त संयोजन वर्ष 2007 से खराब स्थिति में है, जिसकी मौखिक व लिखित शिकायत पर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिवादी का निवास स्थान शॉट सर्किट से वर्ष 2015 में आग की चपेट में आ गया था। इस वजह से संयोजन को बंद करने का प्रार्थनापत्र एसडीओ पुरोला के कार्यालय में दिया गया और वर्ष 2017 में संयोजन बंद किया गया। उक्त स्थल पर पुनः संयोजन के लिए विभाग से संपर्क किया, तो बताया गया कि परिवादी का माह फरवरी 2008 से मई 2017 तक का विद्युत बिल रूपये 23,665.00 (तैइस हजार छः सौ पैंसठ) बकाया है। परिवादी का कहना है कि माह फरवरी 2008 से अप्रैल 2009 तक की औसत विद्युत खपत केवल 48 यूनिट (द्विमासिक आधार पर) मात्र है, जबकि विभाग द्वारा माह अप्रैल 2009 से अगस्त 2009 तक की औसत विद्युत खपत 1400 यूनिट और माह फरवरी 2010 से अगस्त 2011 तक औसत विद्युत खपत 150 यूनिट दर्शायी गई है, जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है।

परिवादी ने अपने प्रार्थनापत्र मे कहा है कि विभाग द्वारा माह अक्टूबर 2011 से अगस्त 2014 तक बिल यूनिट 200 (प्रति द्विमासिक), माह फरवरी से अक्टूबर 2015 तक बिल यूनिट 74 (प्रति द्विमासिक) तथा माह फरवरी 2016 से मई 2017 तक बिल यूनिट 200 (प्रति द्विमासिक)

Kirti Prasad
28/09/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी।

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी
28/09/24

दर्शायी गई है, जो विभाग ,द्वारा प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री में एनआर श्रेणी के अंतर्गत दर्शायी गई है। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया है कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित यूईआरसी (द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड) रेग्यूलेशन 2007 तथा यूईआरसी (द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड, रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शनस एवंड रिलेटेड मैटर) रेग्यूलेशन 2020 और समय–समय पर निर्गत विनियमों को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा प्रदर्शित रूपये 23,665.00 (तैइस हजार छः सौ पैंसठ) का विद्युत बिल निरस्त कर उचित न्याय प्रदान करें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज किया गया। पत्रांक संख्या–77/2024 वि0उ0शि0नि0मं उका फोरम/दिनांक–09/09/2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस दिया गया और दिनांक–23/09/2024 को मंच के सम्मुख आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक–23/09/2024 की सुनवाई में विपक्षी द्वारा पत्रांक संख्या–323/वि0वि0उ0ख0 पुरोला/दिनांक–23/09/2024 के मार्फत आख्या प्रस्तुत की गई। आख्या में जानकारी दी गई कि उपभोक्ता को माह 02/2015 में मीटर्ड यूनिट बिल दिया गया है, जिसकी धनराशि 14,893.00 (चौदह हजार आठ सौ तिरानवे) है। माह मार्च 2015 के बाद अप्रैल 2017 तक एनआर के बिल दिए गए हैं, जिसके लिए उनके बिल में से 8772 रूपये कम कर दिए गए हैं। अब जबकि, उपभोक्ता नया संयोजन लेना चाहते हैं, जिसके लिए उपभोक्ता को पुराने विद्युत संयोजन का माह फरवरी 2015 तक का बिल जमा कराकर संयोजन की पीडी करानी होगी। साथ ही, तहसील से अग्निकांड संबंधित प्रमाणपत्र उपखंड कार्यालय में प्रेषित करने होंगे। मंच द्वारा विभागीय आख्या पर असहमति प्रकट की गई।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि उपरोक्त संयोजन दिनांक 01/04/2004 में निर्गत किया गया था। परिवादी द्वारा उक्त संयोजन का प्रयोग दिनांक–15/02/2015 तक किया गया, जैसा कि उपभोक्ता की शिकायत और बिलिंग हिस्ट्री से प्रतीत होता है। परिवादी के कई वर्षों तक एनआर के बिल बनाए गए, जबकि नियमानुसार दो बिलिंग चक्रों से अधिक की अवधि के एनआर बिल उपभोक्ता को नहीं दिए जा सकते। यह तथ्य भी सामने आया है कि एनआर के बिल उपभोक्ता को डिलीवर भी नहीं किए गए। दिनांक–01/04/2004 से लेकर दिनांक–15/02/2015 तक उपभोक्ता द्वारा 5049 यूनिट विद्युत

उपभोक्ता सदस्य
28/09/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

28/09/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

का उपभोग किया गया। अतः मंच का मत है कि समय–समय पर लागू विद्युत टैरिफ के आधार पर परिवादी का बिल संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। उपयुक्तानुसार परिवादी का कुल उपभोग 5049 यूनिट है, जो कि 128 महीने में किया गया है। इस आधार पर परिवादी का औसत विद्युत उपभोग लगभग 39 यूनिट प्रतिमाह आता है। मंच का यह भी मानना है कि चूंकि परिवादी को ससमय बिल नहीं दिए गए। अतः संशोधित धनराशि पर परिवादी से कोई विलंब अधिभार शुल्क (एलपीएस) ना लिया जाना न्याय हित में होगा।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार संशोधित बिल परिवादी को अविलंब उपलब्ध कराए। अनुपालन आख्या 30 दिन में मंच के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

28/09/24
(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

28/09/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–92 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री जयप्रकाश भट्ट पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम, ग्राम भाटगांव धनारी डुण्डा उत्तरकशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– 05 / 09 / 2024
निर्णय का दिनांक– 23 / 09 / 2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री जयप्रकाश भट्ट पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम, ग्राम भाटगांव धनारी डुण्डा, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–05 / 09 / 2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–यूके14112413452, भार–01, श्रेणी–एसटीएन–10 / अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। परिवादी ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि विभाग द्वारा उनका चालान किया गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 01.06.2018 को उनके द्वारा रु0 60000.00 (साठ हजार) जमा किया गया था। दिनांक 17.10.2017 को विद्युत बिल के सापेक्ष रु0 6645.00 (छः हजार छः सौ पैंतालीस) जमा किया गया था। इसके बावजूद उन्हें बताया जाता है कि उन पर विद्युत बिल के बावत रु0 100000.00 (एक लाख) की आर0सी0 जारी की गयी है। मंच से परिवादी ने अनुरोध किया है कि उनके द्वारा पूर्व में ही सभी प्रकार की धनराशि जमा कर दी गयी है। इसलिए विभाग द्वारा जारी आर0सी0 को निरस्त किया जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा पत्रांक 75 / वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 05.09.2024 के मार्फत नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 09.09.2024 की सुनवाई में आख्या पेश करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 09.09.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा आख्या अप्राप्त रही, विपक्षी के अनुरोध पर आख्या प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया गया। साथ ही आदेशित किया गया कि वह

विपिन बनियाल 23/09/24
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 23/09/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी।

नियमानुसार उपरोक्त संयोजन पर निर्गत समस्त आई0डी0एफ/एन0आर0 बिलों को निरस्त करें और इस अवधि का सरचार्ज घटाते हुए बिल संशोधित कर आख्या अगली सुनवाई में मंच के समक्ष पेश करें, और मीटर की मौजूदा स्थिति/रीडिंग आदि के बारे में भी मंच को अवगत कराएं।

दिनांक 23.09.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 313/वि0वि0उ0ख0चि0 दिनांक 23.09.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी, जिसमें अवगत कराया गया कि मंच के आदेशानुसार उपरोक्त संयोजन पर निर्गत विद्युत बिलों को संशोधित कर दिया गया है। बिल की धनराशि रु0 91206.00 (इक्यानवे हजार दो सौ छः) से संशोधित कर रु0 6609.00 (छः हजार छः सौ नौ) बनाई गयी है।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी का बिल संशोधित कर दिया गया है, जिसकी धनराशि रु0 6609.00 (छः हजार छः सौ नौ) है। संशोधित धनराशि की देयता परिवादी पर बनती है। संशोधित बिल की धनराशि जमा हो जाने के उपरांत परिवादी के संयोजन का स्थायी विच्छेदन करना न्यायहित में होगा।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

23/09/24
(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

23/09/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–76 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री महिपत सिंह, ग्राम पाही तहसील भटवाडी उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– 30 / 07 / 2024
निर्णय का दिनांक– 23 / 09 / 2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री महिपत सिंह, ग्राम पाही तहसील भटवाडी उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–30 / 07 / 2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–यूके21103007169, भार–01, श्रेणी–एसटीएन–10 / अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। परिवादी ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि उन्हें खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के बिल निर्गत किए जाते हैं। मंच से परिवादी ने अनुरोध किया है कि उक्त संयोजन पर निर्गत विद्युत बिलों को संशोधित कर सही करने की कृपा करें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा पत्रांक 55 / वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 30.07.2024 के मार्फत नोटिस दिया गया और दिनांक 12.08.2024 को आख्या पेश करने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 12.08.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा पत्रांक 759 / वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 12.08.2024 के मार्फत आख्या पेश की गयी और अवगत कराया गया कि उपरोक्त संयोजन पर माह 12 / 2010 तक सम्पूर्ण विद्युत बिल आई0डी0एफ पर निर्गत हुए हैं जबकि दिनांक 01.01.2011 को विद्युत संयोजन पर नया मीटर स्थापित कर दिया गया था जिसमें कि माह 07 / 2021 में रीडिंग 4611 यूनिट पर विद्युत बिल रू0 70764.00 (सत्तर हजार सात सौ चौंसठ) था। पुनः मीटर खराब होने पर दिनांक 23.07.2021 को नया मीटर स्थापित किया गया जबकि माह 06 / 2024 तक सम्पूर्ण बीजक आई0डी0एफ पर निर्गत

Kirti Prasad
23/09/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

विपिन बनियाल
उपभोक्ता सदस्य
23/09/24
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

किए गए। उपभोक्ता पर अवशेष बीजक की धनराशि रु0 103849.00 (एक लाख तीन हजार आठ सौ उनपचास) होने के कारण दिनांक 14.06.2024 को उक्त संयोजन अस्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उक्त संयोजन पर निर्गत समस्त आई0डी0एफ बिलों को नियमानुसार निरस्त करें और इस अवधि का एल0पी0एस/(सरचार्ज) को घटाते हुए बिल संशोधित कर आख्या दिनांक 29.08.2024 की सुनवाई के दौरान मंच के समक्ष पेश करे।

दिनांक 29.08.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा आख्या पेश नहीं की गयी। विपक्षी/विभाग के मौखिक अनुरोध पर मंच ने समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई में आख्या पेश करने हेतु आदेशित किया। दिनांक 23.09.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 789/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 20.09.2024 के मार्फत आख्या पेश की और अवगत कराया गया कि मंच के आदेशानुसार एन0आर0/आई0डी0एफ बिलों को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 44912.00 (चवालीस हजार नौ सौ बारह) है, जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा की जानी शेष है।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी का बिल संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 रु0 44912.00 (चवालीस हजार नौ सौ बारह) है, जिसकी देयता परिवादी पर बनती है। शिकायत निस्तारित कर ली गई है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

23/09/24
(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य

23/09/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–89 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री मोर सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, ग्राम धनपुर पो0 मानपुर भटवाडी उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– **02 / 09 / 2024**
निर्णय का दिनांक– **23 / 09 / 2024**

:: निर्णय ::

परिवादी श्री मोर सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह, ग्राम धनपुर पो0 मानपुर भटवाडी उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–02 / 09 / 2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–यूके11317011911, भार–01, श्रेणी–एसटीएन–10 / अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। परिवादी ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि उन्हें खपत की अपेक्षा अधिक धनराशि के बिल निर्गत किए जाते हैं। मंच से परिवादी ने अनुरोध किया है कि उक्त संयोजन पर निर्गत विद्युत बिलों को संशोधित कर सही करने की कृपा करें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा पत्रांक 71 / वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 02.09.2024 के मार्फत नोटिस दिया गया और दिनांक 09.09.2024 को आख्या पेश करने हेतु आदेशित किया गया।

दिनांक 09.09.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा पत्रांक 776 / वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 05.09.2024 के मार्फत आख्या पेश की गई और अवगत कराया गया कि उपरोक्त संयोजन की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के माह 01 / 2001 से माह 11 / 2015 तक सम्पूर्ण विद्युत बिल एन0आर0 / आई0डी0एफ पर निर्गत किये गये जिसमें कि वर्तमान बीजक रु0 101043.00 (एक लाख एक हजार तैंतालीस) है और माह 11 / 2015 में उक्त संयोजन बकाया के कारण विच्छेदित कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी।

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी।

विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उपरोक्त संयोजन पर निर्गत समस्त आई0डी0एफ बिलों को नियमानुसार निरस्त करें और इस अवधि का एल0पी0एस/(सरचार्ज) को घटाते हुए बिल संशोधित कर आख्या अगली सुनवाई में मंच के समक्ष पेश करें।

दिनांक 23.09.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा पत्रांक 784/वि0वि0उ0ख0उ0 दिनांक 20.09.2024 के मार्फत आख्या पेश की गई और अवगत कराया गया कि मंच के आदेशानुसार एन0आर0/आई0डी0एफ बिलों को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 15547.00 (पंद्रह हजार पांच सौ सैंतालीस) है जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा की जानी शेष है।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी का बिल संशोधित कर दिया गया है। संशोधित बिल की धनराशि रु0 रु0 15547.00 (पंद्रह हजार पांच सौ सैंतालीस) है, जिसकी देयता परिवादी पर बनती है। शिकायत निस्तारित कर ली गई है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

(विपिन बनियाल) 23/09/24
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

(कीर्ति प्रसाद भट्ट) 23/09/24
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–50 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एन0 के0 जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री गुणानन्द जोशी, ग्राम डेरिका पुरोला।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, बड़कोट।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– 02 / 07 / 2024
निर्णय का दिनांक– 23 / 09 / 2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री गुणानन्द जोशी, ग्राम डेरिका पुरोला, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–02 / 07 / 2024 को पुरोला में आयोजित शिविर के दौरान प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–बीडी13209305380, भार–01, श्रेणी–एसटीएन–10 / अदर डोमेस्टिक और हिरामणी जोशी के नाम से संचालित है। परिवादी ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि उनके द्वारा लगभग 8–10 वर्ष पूर्व से उक्त संयोजन काट रखा है लेकिन इसके बावजूद विद्युत बिल निर्गत किए जा रहे हैं। मंच से परिवादी का अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों को संशोधित करने की कृपा की जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज किया गया और शिविर में उपस्थित विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह को नोटिस देकर आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। शिविर के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा वर्ष 2020 के बाद की बिलिंग हिस्ट्री प्रस्तुत की गई। मंच द्वारा विपक्षी / विभाग को आदेशित किया गया कि वर्ष 2020 से पूर्व की बिलिंग हिस्ट्री सहित सुस्पष्ट आख्या दिनांक 15.07.2024 को मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।

दिनांक 15.07.2024 की सुनवाई के दौरान विभागीय आख्या अप्राप्त रही। उपरोक्त परिवाद की सुनवाई दिनांक 29.07.2024 की गई, सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा पत्रांक 248 / वि0वि0उ0ख0पुरोला दिनांक 27.07.2024 के मार्फत आख्या पेश की गई, और अवगत

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum Uttarkashi

विपिन बनियाल 23/09/24
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti prasad 23/09/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

कराया गया कि उपभोक्ता के उक्त विद्युत संयोजन को अवर अभियन्ता के द्वारा स्थाई विच्छेदन प्रपत्र भरकर अग्रिम कार्यवाही हेतु खण्ड कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उपरोक्त संयोजन पर निर्गत समस्त एन0ए0, एन0आर0 और आई0डी0एफ बिलों को निरस्त कर दो बिलिंग चक्र के अन्तर्गत संशोधित कर आख्या दिनांक 12.08.2024 की सुनवाई के दौरान पेश करें।

दिनांक 12.08.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा संयोजन की पी0डी0 (स्थाई विच्छेदन) किए जाने की जानकारी आख्या में दी गई। परंतु परिवादी के अंतिम बिल की जानकारी नहीं दी गई। आदेशित किया गया कि विपक्षी/विभाग अंतिम बिल की जानकारी मंच को उपलब्ध कराए। दिनांक 29.08.2024 और दिनांक 09.09.2024 की सुनवाई के दौरान भी परिवादी के अंतिम बिल की धनराशि के संबंध में जानकारी नहीं दी गई। जिस पर मंच ने नाराजगी प्रकट की। दिनांक 23.09.2024 की सुनवाई में विपक्षी/विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी का उपरोक्त संयोजन पर अंतिम बिल रु0 11815.00 (ग्यारह हजार आठ सौ पंद्रह) है।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि परिवादी का अंतिम बिल रु0 11815.00 (ग्यारह हजार आठ सौ पंद्रह) है जिसकी देयता परिवादी पर बनती है।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

विपिन बनियाल 23/09/24

(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 23/09/24

(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या—85 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट — **(न्यायिक सदस्य)**
श्री एन0 के0 जोशी — **(तकनीकी सदस्य)**
श्री विपिन बनियाल — **(उपभोक्ता सदस्य)**

परिवादी— श्री देवेंद पंवार, पुत्र श्री दरमियान सिंह, रिलायंस जियो टॉवर, बेंतगांव, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी— अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक— 12 / 08 / 2024
निर्णय का दिनांक— 23 / 09 / 2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री देवेंद पंवार, पुत्र श्री दरमियान सिंह, रिलायंस जियो टॉवर, बेंतगांव, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक—12 / 08 / 2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या—यूके66216648268, भार—05 किलोवाट, श्रेणी—एसटीएन—20 / अदर नॉन डोमेस्टिक से संबंधित है और मैसर्स रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि बैंतगांव में जियो टॉवर लगा है। यहां पर मीटर खराब होने के कारण मीटर रीडिंग में कुछ कमियां पाई गई थीं। बाद में यहां पर आकाशीय बिजली के कारण हमारी केबिल तथा मीटर दोनों ही जल गए। इसके बाद, बिजली का बिल बहुत अधिक आने लगा। परिवादी ने बिल संशोधन का मंच से अनुरोध किया है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज किया गया। पत्रांक संख्या—67 / 2024 वि0उ0शि0नि0मं उका फोरम / दिनांक—14 / 08 / 2024 के माध्यम से विपक्षी को नोटिस दिया गया और दिनांक—29 / 08 / 2024 को मंच के सम्मुख आख्या प्रस्तुत करने के लिए आदेशित किया गया। दिनांक—29 / 08 / 2024 की सुनवाई में विपक्षी द्वारा आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। विपक्षी के मौखिक अनुरोध पर समय प्रदान किया गया। दिनांक—09 / 09 / 2024 की सुनवाई में विपक्षी द्वारा बिलिंग हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए बिल सही बताया गया। विपक्षी को आदेशित किया गया

23/09/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

23/09/24
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

कि वह मीटर सीलिंग प्रमाणपत्र, साइड की रिपोर्ट और संभावित लाइटनिंग की तारीख मंच के सम्मुख प्रस्तुत करे।

दिनांक–23 / 09 / 2024 की सुनवाई के दौरान पत्रांक संख्या–788 / वि0वि0उ0ख0उ / दिनांक–20 / 09 / 2024 के मार्फत विपक्षी विभाग द्वारा आख्या प्रस्तुत की गई। आख्या के अनुसार–उपभोक्ता की माह 03 / 2024 में मीटर रीडिंग 11,5544 यूनिट थी, जिस पर बीजक धनराशि रूपये 33,1255.00 (तीन लाख इकत्तीस हजार दो सौ पचपन) थी। माह 04 / 2024 में उपभोक्ता के परिसर पर लगे विद्युत मीटर / केबिल में आकाशीय बिजली गिरने के कारण पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। दिनांक–16 / 05 / 2024 को उपभोक्ता के परिसर पर पुनः नया मीटर स्थापित किया गया, जिसमें कि वर्तमान में माह 09 / 2024 को मीटर रीडिंग 6148 यूनिट पर अवशेष बीजक धनराशि रूपये 70,6943.00 (सात लाख छः हजार नौ सौ तैंतालीस) है। उपभोक्ता द्वारा माह 01 / 2024 से आतिथि तक कोई भी विद्युत बीजक धनराशि जमा नहीं की गई है। मंच ने विभागीय आख्या पर असहमति प्रकट की।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि माह 11 / 12 वर्ष 2023 में परिवादी का उपभोग बिलिंग हिस्ट्री में 3814 यूनिट अंकित है। माह 12 / 2023 से माह 01 / 2024 तक का उपभोग 10,995 यूनिट, माह 01 / 2024 से 02 / 2024 तक का उपभोग 4077 यूनिट, माह 02 / 2024 से 03 / 2024 तक का उपभोग 44,194 यूनिट, माह 03 / 2024 से 04 / 2024 तक का उपभोग 28,032 यूनिट, माह 04 / 2024 से 05 / 2024 तक का उपभोग 10,957 यूनिट अंकित किया गया है। परिवादी का मीटर दिनांक–16 / 05 / 2024 को बदल दिया गया। मीटर बदलने के उपरांत परिवादी का विद्युत उपभोग माह 06 / 2024, 07 / 2024 और माह 08 / 2024 में क्रमशः 1227, 681 व 558 यूनिट रहा है। संभवतः माह 02 / 2024 एवं 03 / 2024 के बीच में लाइटनिंग से परिवादी का मीटर त्रुटिपूर्ण हो गया। इस कारण, मीटर बदलने की दिनांक तक परिवादी का विद्युत उपभोग असामान्य रूप से रहा। अतः मंच का मत है कि. माह 03 / 2024 से पूर्व के तीन बिलिंग चक्रों के औसत आधार पर मीटर बदलने की तिथि तक का बिल संशोधित किया जाना न्यायसंगत होगा। संशोधित बिल पर ही विलंब अधिभार शुल्क (एलपीएस) लिया जाना न्याय हित में होगा।

23/09/24

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

23/09/24

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार बिल संशोधित कर परिवादी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अनुपालन आख्या 30 दिन में मंच के सम्मुख प्रस्तुत करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

23/09/24
(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

23/09/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–98 / 2024

श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी– श्री प्रेम सिंह भण्डारी, ग्राम गेंवला पट्टी बरसाली डुण्डा उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक– 18 / 09 / 2024
निर्णय का दिनांक– 23 / 09 / 2024

:: निर्णय ::

परिवादी श्री प्रेम सिंह भण्डारी, ग्राम गेंवला पट्टी बरसाली डुण्डा उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को दिनांक–18 / 09 / 2024 को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या–यूके14116417603, भार–01, श्रेणी–एसटीएन–10 / अदर डोमेस्टिक से संबंधित है। परिवादी ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि उपरोक्त विद्युत संयोजन परिवादी की माता के नाम से संचालित था, जबकि माता जी का विगत पांच वर्ष पूर्व देहांत हो गया है। माता की मृत्यु के पश्चात परिवादी के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा उक्त संयोजन को अपने नाम हस्तान्तरित करने हेतु आवेदन किया गया था, किन्तु विभाग द्वारा कहा गया कि कनेक्शन हस्तान्तरित नहीं होगा आपको नया विद्युत संयोजन लेना होगा। परिवादी ने मंच को अवगत कराते हुए कहा कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिलों को लगातार जमा किया जा रहा है लेकिन वर्तमान के बिल में धनराशि रु0 4405.00 (चार हजार चार सौ पांच) है जो कि अधिक है। इससे पूर्व के समस्त बिलों का भुगतान किया जा चुका है, इसलिए परिवादी का मंच से अनुरोध है कि उक्त संयोजन पर निर्गत बिल को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परिवाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा पत्रांक 81 / वि0उ0शि0नि0मं0उका फोरम दिनांक 18.09.2024 के मार्फत नोटिस जारी करते हुए विपक्षी को दिनांक 23.09.2024 की सुनवाई में आख्या पेश करने हेतु आदेशित किया गया।

Kirti Prasad
23/09/24
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी।

विपिन बनियाल
23/09/24
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

दिनांक 23.09.2024 की सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा आख्या अप्राप्त रही। मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि वह नियमानुसार परिवादी का बिल संशोधित कर आज ही प्रस्तुत करें। विपक्षी/विभाग द्वारा संशोधित बिल प्रस्तुत किया, जो कि शून्य है। परिवादी ने इस पर सहमति प्रकट की।

उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया है कि विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी का बिल संशोधित कर दिया गया है, जिसकी धनराशि शून्य है। जहां तक परिवादी के नाम परिवर्तन का सवाल है, इसके लिए आवश्यक होगा कि शिकायतकर्ता अपनी माता जी का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ विभाग के सम्मुख आवेदन करे। इस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का दायित्व विभाग का होगा।

:: आदेश ::

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। परिवाद उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

विपिन बनियाल 23/09/24
(विपिन बनियाल)
उपभोक्ता सदस्य
उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण मंच उत्तरकाशी

Kirti Prasad 23/09/24
(कीर्ति प्रसाद भट्ट)
न्यायिक सदस्य
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
मंच उत्तरकाशी